दिल्ली विकास प्राधिकरण

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

मुख्य योजना –2021 की समीक्षा

Master Plan Review–2021

145

OFFICE OF THE DIR (Plg.)
MPR/TC, D.D.A. N. DELHI-2
Dy.No. 2865
Dated 11/5
Zone: F.

पंजीकरण फार्म

REGISTRATION FORM

"ओपन हाउस मीट्स"

"OPEN HOUSE MEETS"

फार्म प्रतिभागी द्वारा भरा जाए

Form to be filled by Participant

नाम Name	Punkumar Tokas
प्रतिनिधि : Representing : सरकारी विभाग / फेडरेशन / संघ (एसोसिएशन) / आर डब्लू ए / व्यक्तिगत Government Department/ Federation/Association/RWA/ Individual	R.W.A - South Delhi Villages.
वर्तमान स्थिति Present Position	Residential Plots.
फोन : कार्यालय Phone : Office आवास Residence मोबाइल Mobile	92-A/3, Pratik Market, Munirka village, N. Delhi-67. 9868500862
फैक्स : Fax :	
ई–मेल E-mail	
पता : Address :	As above.
हस्ताक्षर : Signature :	[signature]
तिथि : Date :	08/05/12

"अपने पंजीकरण फार्म ओपन हाउस मीट्स के स्थल पर जमा कराएं

"Submit your registration form at the venue of Open House meets."

846

Ph. : 26171191 (Chaupal)
Ph. : ~~9312251751~~
9868501156

RESIDENCE WELFARE ASSOCIATION (Regd.)

Village Mohammadpur, New Delhi
Correspondence Address :
CHAUPAL MOHAMMADPUR, NEAR BHIKAJI CAMA PLACE, NEW DELHI-110 066

145

Ref. No. : 432/2008

Date : 19-04-11

सेवा में,
माननीया- श्रीमति शीला दीक्षित जी
मुख्य मंत्री-दिल्ली

RAJ NIVAS
21/4/11

Received On 21/4/2011

विषय : दिल्ली शहरीकृत गावों की समस्या हेतू

महोदय,

निवेदन यह है कि हम सभी **135** शहरीकृत गावों के मूल निवासी है, हमारी सभी गावों की भूमि अधिकृत की गई । हमारे पर सभी सरकारी संस्था **M.C.D., D.D.A., A.S.I.** की तलवारे गर्दन पर लटकी रहती है । नये भवन निर्माणों को **MCD** अवैध करार देती है। भवन उपनियम लागू होती है, परन्तु निर्माण कीअनुमति नही मिलती। **DDA** द्वारा जारी दिनांक **17-01-2011** के अध्यादेश से भी कोई राहत नहीं मिली।

अतः आपसे प्रार्थना है कि सभी **135** शहरीकृत गावों की इस समस्या का ठोस समाधान निकालें ।

धन्यवाद!

[illegible] 16
19/4/11

Copy to:-
श्री कमलनाथ - केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री
श्री अजय माकन - केंद्रीय मंत्री एवं सांसद सांसद
उप- राज्यपाल-दिल्ली
उपायुक्त - M.C.D. (SZ)

RWA Mohammadpur (Regd.)

President

847

रजि. नं. 55471 / 2006

महाराजा सूरजमल फाउण्डेशन (रजि.)

दिल्ली प्रदेश शाखा

चौ० राकेश गरसे
अध्यक्ष
9811526552, 9818781877

धर्म रक्षक
महाराजा सूरजमल

कार्यालय
136, हुमायूँपुर (B-6/107 के सामने)
(सफदरजंग इन्कलेव, नई दिल्ली-29)

दिनांक 27.7.2011

REMINDER - 2

To,

सेवा में,

1. अवर सचिव (दिल्ली डिवीजन)
   शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार
   निर्माण भवन, नई दिल्ली
2. आयुक्त, दिल्ली नगर निगम

960/GA/TO PC/SZ/29.7.11

विषय : एम0सी0डी0 द्वारा 135 शहरीकृत गांवों में भूमिपुत्रों के निर्माणों पर अवैध निर्माण/तोड़फोड़ की कार्यवाई के विरुद्ध पुनः अपील।

महोदय,

निवेदन यह है कि सभी 135 शहरीकृत गांवों में भूमिपुत्रों के (फरवरी 2007) के बाद सभी निर्माणों पर अवैध निर्माण व तोड़फोड़ की कार्यवाई करती है। सरकार द्वारा जारी दिनांक 17.1.11 के अध्यादेश के बाद भी यदि कोई निर्माण से पूर्व अनुमति के लिए आवेदन करता है तो एम0सी0डी0 आपति लगाकर आवेदन रद्द कर देती है, निर्माण के पश्चात भवनों को नियमित भी नहीं करती। अध्यादेश में स्पष्ट है कि गांवों के ले आउट प्लान बनाये जायें। तभी लाभ मिलेगा। माननीय हाईकोर्ट की डबल बेन्च ने केस संख्या - **LPA 574/2009, Title MCD V/s B.K. Sharma** केस में दिनांक 11.8.10 को एम0सी0डी0 को निर्देश दिया था कि सभी गांवों के ले आउट प्लान 3 महिने में बनायें और मस्जिद मोठ गांव से शुरु करें। इस केस में एम0सी0डी0 ने स्वयं अपील की थी। आजतक भी किसी गांव के ले आउट प्लान नहीं बने, कोर्ट आदेश की एवं अध्यादेश की सरेआम धज्जियां उडाई जा रही है। कई गांव वालों ने भवन निर्माण की अनुमति/नियमित हेतु कोर्ट में याचिकाएं डाली हुई हैं। एवं करीब 15 गावं की आर0डब्ल्यू0ए0

जारी पेज 2...

848

और हमारी फाउंडेशन ने कई महिने से लगातार केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री, उप राज्यपाल/ मुख्य मंत्री, दिल्ली एवं आयुक्त / उपायुक्त (द0क्षे0) एम0सी0डी को पत्र लिखे। परंतु कोई नतीजा नहीं निकला।

अतः आपसे प्रार्थना है कि दिनांक 23.6.11 के पत्र के पहले **Reminder** में हमने इस समस्या की कार्यवाई हेतु 3 महिने का समय दिया था, एक महिना बीत चुका है, और दो महिने से कम शेष है। यदि गांव वासियों को निर्माण की छूट/अनुमति की कार्यवाई नहीं की तो सभी गांव वासी शांति पूर्वक आंदोलन/प्रदर्शन करेंगें, या कानूनी कार्यवाई करेंगें।

Encl:- 2 page.
Letter Dated-23/6/11

धन्यवाद,

cmo/pac/2010/193303/3099/27.7.11 (IInd Reminder) Sent to pr. Secy./U&D./Deptt./Govt. NCT of Delhi 7015/23.8.11
P.N.-7015/23.8.11

प्रार्थी

ओम प्रकाश
प्रधान महासचिव
महाराजा सूरजमल फाउंडेशन (रजि0)

मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार
मुख्य सचिव - दिल्ली सरकार
श्री - कमलनाथ - केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री
प्रतिलिपि श्री योगानन्द शास्त्री स्थाई समिति अध्यक्ष MCD

1. उप राज्यपाल दिल्ली (Sent D.No.-21457/24.6.11 Sent to Com. M.C.D on 28.6.11)
2. श्री अजय माकन, केन्द्रिय मंत्री।
3. प्रधान सचिव, शहरी विकास विभाग, दिल्ली सरकार।
4. उपायुक्त एम0सी0डी0 (द0क्षे0), ग्रीन पार्क, नई दिल्ली। (DC/SZ/4153/23/6/11) MCD

C.S./GAD/11/25662/Com./MCD 2.8.11

Delhi Secretariat, New Delhi-2
27 JUL 2011
RECEIVED
R&I Branch
Govt. of NCT of Delhi

RAJ NIWAS
Date 27/7/2011
DELHI

OFFICE OF UDM
RECEIVED
Date 27/7/11

Compliance
27/7/11

Chief Minister - Ist Letter D.No. cmo/DSC/1947, PAC/2011/183246/7.3.11 Sent to प्रधान सचिव शहरी विकास विभाग
C.M. Ist Reminder - D.No. cmo/PAC/2011/192766/20.7.11 Sent to Com./MCD

849

UD Minister/1519/PROUD/2011/2511/Secy.(UD)2541/ASC(UD)

Received On 21/4/2011
O/o. UDM, Nirman Bhawan
New Delhi

RESIDENTS WELFARE ASSOCIATION
CHIRAG DELHI, (Regd.)
364, Chirag Delhi, New Delhi-110 017,
Tel.: 29259668, 98914200

DEV SHARMA
GENERAL SECRETARY

Dated- 21.03.2011
Reminder- I

To,
Commissioner
M.C.D., Civic Centre.
Minto Road.
N. Delhi-2

21/03/11

NIWAS
Sign.:
Date: 21/4/11
DELHI

Sub:-Sealing of constructed buildings on Sub Divided plots by MCD at Chirag Delhi Village, New Delhi

Sir,

There are some buildings which are semi finished and have been sealed by the MCD in Chirag Delhi Village and the owners were served with the notice of illegal construction. When the people of the village had contacted the MCD officials they were informed, that no building plan exists for the urbanised villages in Delhi.

The same problem is faced by all the people of urban villages of Delhi because majority of inherent plots are sub divided between the families and the single entity is not determined. If the people of urban villages try to reconstruct their old, damaged and dilapidated houses the MCD says the construction is illegal.

Sir Kindly take action in this matter to enable the people of Chirag Delhi village, as well as others urban villages who are facing the same problem to reconstruct their inherited old, damaged and dilapidated houses which are sub divided. We will wait for your clear and valuable Guidelines as early as possible.

Encl.
Letter Dated- 03-11-2009

Yours faithfully
Dev Sharma
(General Secretary)

Copy to:-
L.G.- Delhi
D.C. - South Zone MCD
C.M. - Delhi
Sh. Kamalnath - Union Minister
Sh. Ajay Maken - Union (MoS)
Sh. Ramesh Kumar - M.P. (South Delhi)
Marpal - Delhi
Sh. V.K. Malhotra - MLA (Leader of opposition)
Smt. Kiran Walia - Minister Delhi Govt.
Sh. J.P. Aggarwal (M.P.) Delhi North West

850

21/4/2011 — Secretary / 02/5/11 / 1518.

2

Munirka Mahila Kalyan Samiti (Regd.)

33-E, Near Gurudwara Munirka New Delhi-110067

Phone : 011-26108454, Mobile : 9717730404

Healthy Woman Healthy family

President
Smt. Phoolwati Tokas

Vice-President
Smt. Sushma Tokas

Gen. Secretary
Smt. Kamlesh

Secretary
Smt. Usha

Cashier
Smt. Saroj Goyal

Legal Advisor
Sh. Yudhvir Singh
(Advocate)
M. : 9810599783

Ref No. MCD/01/11

Date 01, March, 2011

Reminder - II

To,

Commissioner-MCD
CIVIC CENTRE
MINTO ROAD
NEW DELHI-2

21/03/11

Subject: Sealing and Demolition of building in the urbanized villages in (Delhi).

Sir, This is to bring to your kind notice that there are 135 urbanized villages in Delhi. Due to non availability of clear guidelines of the building layout plan and building bye laws for inheritance property. we have earlier also communicated/written letter many times.

In most of the south Delhi villages like: Shahpur Jat, Chirag Delhi, Katwaria Sarai, Basant Gaon, Munirka Masjid Moth, Hauz Khas are regularly getting notice and building are sealed for Demolition. whenever there is any new construction. This is becoming a great problem for all 135 urbanized villages.

You are requested to look for immediately permanent solution for these 135 urbanized villages. So that the original resident of Delhi are not harassed by the authority.

Thanking you

Yours faithfully.

Phoolwati Tokas

Phoolwati Tokas
President
Munirka Mahila Kalyan Samiti (Regd.)
33-E, Near Gurudwara Munirka
New Delhi - 110067

Copy to:
L.G. - Delhi
D.C. - South Zone.
S.M. - Delhi
Sh. Kamalnath - Union Minister.
Sh. Ajay Maken - Union (MoS)

E-mail : phoolwatitokas.mmks@gmail.com

851

Registration No. : S/8609/1977

हुमायूँ पुर कल्याणकारी समिति (रजिस्टर्ड)
Humayun Pur Kalyankari Samiti (Regd.)

Office : 173, Humayun Pur, New Delhi-110 029

Received On. 21/4/2011
O/o. UDM, Nizamuddin Zone
New Delhi

Ref. No. एच०के०एस०/कार्यकारी सभा/2010-11/48

Dated : 14 मार्च, 2011

कार्यकारी समिति:

संरक्षक (पैट्रन):
चौ० श्रीकृष्ण फौगाट
✆ : 9871405152

प्रधान:
चौ० रण सिंह फौगाट
✆ : 9999275881

वरिष्ठ उप-प्रधान:
चौ० प्रेम राज फौगाट
✆ : 011-26190430

कनिष्ठ उप-प्रधान:
चौ० ओमवीर सिंह फौगाट
✆ : 9899324242

महा-सचिव (जनरल सैक्रेटरी):
चौ० मन्सा राम टोकस
✆ : 9910871444

उप-सचिव:
चौ० दलीप कुमार फौगाट
✆ : 9871894327

कोषाध्यक्ष:
चौ० बीरसिंह महलवाल
✆ : 9818080215

उप-कोषाध्यक्ष:
चौ० राजिन्दरसिंह टोकस
✆ : 9811253738

कार्यकारी सदस्य:
चौ० सिंह राम फौगाट
चौ० देशराज चौधरी
चौ० राजसिंह फौगाट
चौ० राकेश गरसे
चौ० ओमवीर सिंह गहलौत
चौ० नीरज महलवाल
चौ० मनोज कुमार फौगाट
(सुपुत्र चौ० जगत सिंह)
चौ० मनोज कुमार फौगाट
(सुपुत्र चौ० नरसिंह)
चौ० कुलदीप टोकस
चौ० राजू उर्फ रणवीर फौगाट
चौ० वीरेन्द्र सिंह फौगाट
चौ० कुलवन्त फौगाट
चौ० विशाल फौगाट
चौ० परमिन्दर फौगाट

विशेष आमन्त्रित सदस्य:
चौ० रघवेन्द्र फौगाट
चौ० सुरेश टोकस
चौ० विक्रम सिंह फौगाट

सेवामें,
मुख्य मंत्री - दिल्ली सरकार

21/03/11

विषय:- दिल्ली के शहरीकृत गाँवों में मकानों की सीलिंग और तोड़-फोड़ से उत्पन्न समस्याओं के निराकरण हेतु।

महोदया,

इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान दिल्ली के शहरीकृत गाँवों के निवासियों द्वारा भोगी जा रही मकानों के सीलिंग और गिराए जाने से उत्पन्न समस्याओं से अवगत कराना चाहता हूँ। महोदया, जैसा कि आपको विदित है, दिल्ली के 135 (एक सौ पैंतीस) गाँव शहरीकृत वर्ग में लाए जा चुके हैं। इन गाँवों की एकमात्र जीवन यापन जमीनें (खेती-बाड़ी वाली) भारत सरकार द्वारा अधिग्रहण की जा चुकी हैं और इन गाँवों के अधिकतर निवासियों का कोई नौकरी पेशा नहीं होने के कारण अपने व अपने परिवारों के जीवन यापन के लिए मकानों का किराया भाड़ा का साधन ही सहारा है। जिस पर दिल्ली नगर निगम के भवन उपनियम (बिल्डिंग बॉयलाज) का ग्रहण लग गया है। दिल्ली नगर निगम इन गाँवों में उक्त भवन उपनियमों के आधार पर निर्माणों को अवैध निर्माण (Unauthorised Constructions) के नोटिस भेजकर उन्हें सील अथवा गिरा रही है। इसके अन्तर्गत मुनीरका, वसन्त गाँव, कटवारिया सराय, बेर सराय, हौज खास, चिराग दिल्ली, सिरी शाहपुर जाट, मस्जिद मोठ आदि गाँवों में अनेकों निर्माणाधीन भवन सील कर दिए गए हैं। परिणामस्वरूप, यहाँ के मूल निवासियों के लिए जीवन यापन करना दूभर हो गया है।

महोदया, आपकी सरकार एक ओर तो अवैध कालोनियों को नियमित कर वहाँ के निवासियों को जीवन दान दे रही है, वहीं दूसरी ओर दिल्ली नगर निगम शहरीकृत गाँवों में निर्माणाधीन भवनों को भवन उप-नियमों का सहारा लेकर सील अथवा धराशायी कर रही है। अतः आपसे नम्र निवेदन है कि दिल्ली के सभी शहरीकृत गाँवों में दिल्ली नगर निगम के भवन उप-नियम समाप्त किए जाएँ और वहाँ के निवासियों को राहत दिलाने की कृपा करें।

धन्यवाद,

भवदीय,

(मन्सा राम टोकस)
महा-सचिव

Copy to:-
D.C.- South Zone, MCD
Sh.- Kamalnath, Union Minister
Sh.- Ajay Maken, Union Minister
L.G.- Delhi

852

KATWARIA SARAI WELFARE ASSOCIATION (REDG.)

F-42, Katwaria Sarai, New Delhi - 110016, Phone.: 011-26961262

President : Prawar Singh. General Secretary : GIAN CHAND

To, Sh. Kamalnath ji
Urban & Dev. Mini. Govt. of India
Nirma Bhawan, N.D.

Received On 21/4/2011
O/o. UDM, Nirman Bhawan
New Delhi

RAJ NIVAS
Sign.:
Date: 21/4/11
DELHI

1522/MOUD/2011/Secy.(UD)2/5/11/ASC(UD)/2/5/11

Sub: Sealing/Demolition of constructed Building on Ancestral property by MCD.

Sir

With due respect, I may kindly bring to your kind notice that the condition of 135 villages (so called) urbanized villages is worse than that of Juggiwala. A person from other state comes in Delhi and construct a small Juggion Govt land. Government cannot remove/demolise that. In case he has to vaccate that he is being given an alternative plote

Whereas, for these urbanised villages, if anyone construct/re-construct his inherited old, damaged and dilapidated houses, the authorities treat it as illegal, due to non-availability of clear guide lines/bye laws for inheritance property.

You are requested to look into the matter in person on priority basis.

Thanking you,

Yours sincerely,
Gianchand
(GIAN CHAND)
Gen. Secretary.

Dated: 16.3.2011

Copy to:- CM - Delhi
Sh. Ramesh Kumar MP - South Delhi
L.G. - Delhi
Commissioner - MCD
LDC - MCD S.Z.
Sh. Ajay Maken - Union Minister

8/4/11

853

Received On 21/4/2011
O/o. UDM, Nirman Bhawan
New Delhi

दूरभाष 26864631
~~6852761~~
9871066112

हौज खास गाँव कल्याण समिति

9-A, हौज खास गाँव नई दिल्ली - 110016

RAJ NIWAS
Sign:
Date: 21/4/11

चौ० दयानन्द गोच्छवाल
प्रधान

चौ० गोवर्धन सिंह
सचिव

2.4.11
~~चौ० [illegible]~~
कोषाध्यक्ष

Dear Sir,

श्री अजय माकन - केन्द्रीय मंत्री

Urbanised villages of Delhi – Master Plan Delhi 2021 (MPD 2021)
Building Bye Laws – Sealing and Demolition of Buildings

Master Plan Delhi 2021 was notified in February 2007. In terms of Clause No. Sub-PRA 16-2(3) of MPD 2021 of the said plan, Building Bye Laws for the Urbanised Villages were to be made separately and notified with a period of three years from the date of notification of MPD 2021.

A period of more than 4 years has since elapsed but Building Bye Laws for the Urbanised Villages have not been notified so far. The result is that

1. The residents of Urbanised Villages are being harassed by the petty officials of Municipal Corporation Delhi (MCD).

2. New constructions, alterations and additions in their buildings in Urbanised Villages are stopped, sealed and even demolished.

3. The villagers have to pay heavy bribes to petty officials in order to save their only source of income i.e. Rental Income.

You will please appreciate that agriculture land of these villages was acquired by the Government for the purpose of planned development of Delhi at peanut rates and their only source of livelihood i.e. agriculture was snatched from them. However, in order to meet their both ends meet, these villagers over the years have found and created rental income as their source of livelihood but in the absence of building bye laws for urbanized villages, petty MCD officials are bent upon to destroy them by way of sealing and demolitions.

We, therefore, request you to look into the matter at your level and take up with the appropriate authorities for making and notifying the building bye laws for unbanised villages keeping in view their historical background and the conditions in which they are living and securing their source of livelihood.

Thanking you in anticipation.

Yours sincerely,
(President)

Copy to:-
C.M. Delhi
L.G. - Delhi,
Commissioner MCD
DC-MCD - SZ.
Sh. Kamalnath - Union Minister
G.O.I.

19/4/11

लाडो सराय गाँव, कल्याण समिति

एफ–213/डी, लाडो सराय गाँव, नई दिल्ली–30, मो0 9818712003

संदर्भ संख्या : ..... दिनांक 20.4.2011

रविन्द्र कुमार
(प्रधान)

21/4/2011

सेवा में,

माननीय श्री कमल नाथ
केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री
निर्माण भवन, नई दिल्ली

विषय :एम0सी0डी0 द्वारा शहरीकृत गांवों में भूमिपूत्रों के निर्माणों की अनुमति नहीं देने के विषय में।

महोदय,

निवेदन यह है कि दक्षिण दिल्ली के (लाडो सराय गांव) सहित सभी 135 शहरीकृत गांवों में भूमिपुत्र (पूर्वजों) की संपति पर निर्माण करते हैं तो दिल्ली नगर निगम निर्माणों को अवैध निर्माण का नोटिस भेजकर निर्माणों को सील/तोड़फोड़ करती है। और यदि कोई निर्माण पूर्व एम0सी0डी0 से अनुमति का आवेदन करता है तो अनुमति भी नहीं मिलती। एम0सी0डी0 के अनुसार बिल्डिंग बाय लॉज लागू होता है। इस समस्या से कुछ गांव जैसे मुनिरका गांव, वसंत गांव, मस्जिद मोठ गांव जूझ रहे हैं। पिछले चार वर्ष से सरकार हर वर्ष (2007) तक के निर्माणों को छुट के लिए संसद में बिल पास करती आ रही है। डी0डी0ए0 द्वारा जारी दिनांक 17.1.11 के अध्यादेश का हवाला देकर एम0सी0डी0 लोगों में भ्रम पैदा कर रही है। आज भी (2007) के बाद के निर्माणों को अवैध करार देकर कार्रवाई कर रही है। सभी 135 शहरीकृत गांव में यह समस्या भयंकर होती जा रही है। मस्जिद मोठ गांव के श्री बी0के0 शर्मा ने माननीय हाई कोर्ट से अनुमति लेकर निर्माण किया तो एम0सी0डी0 ने उनके विरुद्ध डी0बी0 से स्थगन आदेश ले लिया, मुनिरका गांव निवासी राम कुमार टोकस की अनुमति हेतु याचिका भी एम0सी0डी0 ने दिनांक 17.1.11 के अध्यादेश का झुठा बहाना बनाकर याचिका खारिज करवा दी क्योंकि यह अध्यादेश लागू नहीं हुआ है। माननीय हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस व जस्टिस मनमोहन की पीठ ने एल0पी0ए0 574 / 2009 दिनांक 11.8.10 को एम0सी0डी0 को आदेश दिया था, पहले मस्जिद मोठ गांव से शुरु करके सभी गांवों के (ले आऊट प्लान) तीन

.. Contd..

7

महीने के अंदर दोबारा बनाएं। परंतु कोई कार्यवाई नहीं हुई। एम0सी0डी0 नहीं चाहती कि गांव वालों को कोई ठोस समाधान निकले। इस पत्र से पूर्व इस विषय में कुछ गांव की आर0डब्ल्यू0ए0 ने आपको पत्र लिखे हैं। जो इस प्रकार हैं –

1. मुनिरका गांव महिला कल्याण समिति।
2. चिराग दिल्ली गांव, आर0डब्ल्यू0ए0।
3. हुमायुंपुर कल्याणकारी समिति।
4. महाराजासुरजमल फाउंडेशन (रजि0 दिल्ली शाखा)।
5. कटवारिया सराय आर0डब्ल्यू0ए0।
6. मोहम्मदपुर गांव आर0डब्ल्यू0ए0।
7. हौजखास गांव कल्याण समिति।
8. युसुफ सराय गांव आर0डब्ल्यू0ए0।

उपरोक्त लिखित गांवों के पत्र इस समस्या के साक्षी है, और परेशान भी हैं। और इसी तरह समस्या आगे ना चले इसमें विराम लगना चाहिये। एम0सी0डी0 यदि असमर्थ है तो सभी लिखे हुये आर0डब्ल्यू0ए0 के पत्रों का ठोस जबाव दे। इस समस्या के लिए सभी गांव वाले केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री, मुख्य मंत्री / उपराज्यपाल दिल्ली, आयुक्त एम0सी0डी0 से मिलकर अपील करेंगें। यदि शीघ्र ही कोई समाधान नहीं निकला तो सभी गांव वासी मिलकर आंदोलन करने को मजबूर हो जायेंगें।

अतः आपसे पुनः प्रार्थना है कि बिल्डिंग बायलॉज का तुरंत समाधान करें। फलस्वरुप सभी गांववासियों को राहत मिले।

धन्यवाद

प्रतिलिपिः–1. Sh-Ajay Maken-Union Minister
2. मुख्यमंत्री, दिल्ली
3. उपराज्यपाल दिल्ली
4. श्री रमेश कुमार, क्षेत्रीय सांसद
5. आयुक्त, एम0सी0डी0
6. उपायुक्त, एम0सी0डी0 (द0क्षे0)

प्रार्थी

Ravinder

रविन्द्र कुमार
(प्रधान)

856

GRAM SEWA SAMITI

Regd No. : S/11937

343, MAHIPALPUR, NEW DELHI-110037, PH. : 011-26783474

PRESIDENT	VICE PRESIDENT	GEN. SECRETARY	JOINT SECRETARY	TREASURER
RISHI SEHRWAT	MANNU RAM	Er. L. S. SEHRAWAT	SURESH KUMAR	HUKUM CHAND
TEL. : 011-65711201	TEL. : 9910729800	TEL. : 9810429779	TEL. : 9810078563	TEL. : 9811811007

Ref. No. G.S.S./35/2011 Dated 20/4/2011

1556/MOUD/2011/5/5/11-Sec.4.UD/5/5/11

Shri Kamal Nath
Hon'ble Union Urban Development Minister
Niman Bhawan
New Delhi 110011

Received On 03/5/11
O/o. UDM, Nirman Bhawan
New Delhi

SEALING/DEMOLTION OF PROPERTIES OF RESIDENTS OF URBANISED VILLAGES IN ABSENCE OF BUILDING BY LAWS

Sir,

Over 30 Villages of Delhi are original inhabitants of Delhi however they face discrimination in most of the development plans of the Delhi.

Union Urban Development ministry has notified the extension of ban on sealing and demolition of properties located in villages after you took charge of the ministry. However, large numbers of properties in rural areas continue to remain sealed and effort to carry out repair and maintenance of properties by villagers is affected by the harassment of MCD as well as police officials.

May we request you to kindly issue suitable instructions for immediate end to the harassment of property owners in rural areas and kindly accord special area status to the villages of Delhi.

Thanking You

Lal Singh
Gen Secretary

Copy To
Shri Tajendra Khanna, Hon'be Lt Governor of Delhi.
Smt Shiela Dikshit, Hon'able Chief Minister of Delhi.
Sh. Ajay Maken, Hon'able Union Minister
D.C. – M.C.D. – S.Z.

By 26/4/11

857

MUNIRKA CULTURAL & SOCIAL WELFARE SOCIETY
92 A, PRATEEK MARKET, MUNIRKA VILLAGE, NEW DELHI – 110 067
PHONE : 6197665

Received On... 02/5/11
C/o. UD...

Ref: D/25/2011

Date : 25.4.11

सेवा में,

माननीय - श्री अजय माकन दिल्ली सांसद
एवं केन्द्रीय मंत्री, 10, पं० पंत मार्ग, न०दि०

विषय:- दिल्ली कार निगम की मुनीरका गांव के भूमिपुत्रों के मेमोरियों के प्रति दोहरी नीति

महोदय,

निवेदन यह है मुनीरका गांव में (पूर्वजों) की सम्पत्ति में निर्माण को DMC की धारा 345 व 344 को लोहित करके सील / तोड़फोड़ करती है। MCD के अनुसार निर्माणों में भवन उपविधि BBL लागू होती है, इसलिए MCD अवैध करार देती है और यदि निर्माण पूर्व कोई अनुमति मांगता है तो MCD (सब डिविजन) को आधार बनाकर आवेदन कर देती है रद्द। इस गंभीर समस्या से दिल्ली की सभी 135 शहरीकृत गांव जूझ रहे हैं। लगभग (15) गांवों की RWA ने इस विषय में आपको कई मुलाकात व केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री को पत्र भी लिखे हैं, परन्तु कहीं से भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला, (मुनीरका) की तरह सभी शहरीकृत गांवों का दोहन किया जा रहा है, अनुमति मिलती नहीं, निर्माणों को अवैध करार जाता है, यह सभी गांव वालों का दुर्भाग्य है कि राजधानी के गांव वासी (पूर्वजों) की सम्पत्ति पर निर्माण नहीं कर सकते, यदि शीघ्र ही कोई समाधान नहीं निकाला, तो सभी गांववासी धरना, प्रदर्शन या भूख हड़ताल या अन्य कोई बड़ा (आंदोलन) करेंगे।

विषय की गंभीरता से लेकर कार्यवाही करें, हमारा मताधिकार बचाने के लिए कदम उठायें।

धन्यवाद

प्रतिलिपि :-
श्री - कमल नाथ - केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री
उप - राज्यपाल - दिल्ली
मुख्य मंत्री - दिल्ली
उपायुक्त - MCD (South Zone)

प्रार्थी

श्रीमति - चन्द्रवती
(महासचिव)
(9873137753)

26/4/11

858

(REGN. NO. : 56662)

LADO SARAI WELFARE & CULTURAL ASSOCIATION

REGD. OFFICE :- PANCHAYAT GHAR, OLD M. B. ROAD, LADO SARAI .N.DELHI-30

DATE. 23.4.2011

सेवा में, 07/5/11

श्रीमान कमल नाथ जी,
केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री
भारत सरकार, नई दिल्ली,

विषय:- दिल्ली के शहरीकृत गाँवों में मकानों की सीलिंग और तोड़-फोड़ से उत्पन्न समस्याओं के निराकरण हेतु ।

महोदय,

इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान दिल्ली के शहरीकृत गाँवो के निवासीयों द्वारा भोगी जा रही मकानों की सीलिंग और गिराए जाने से उत्पन्न समस्योओं से अवगत कराना चाहता हूँ । महोदय जैसा कि आपको विदित है कि दिल्ली 135 (एक सौ पैंतीस) गाँव शहरीकृत वर्ग में लाए जा चुके हैं । इन गावों की एक मात्र जीवन यापन जमीने (खेती बाड़ी वाली) भारत सरकार द्वारा अधिग्रहण की जा चुकी हैं और इन गाँवों के अधिकतर निवासियों का कोई नौकरी पेशा नहीं है और न होने के कारण अपने व अपने परिवारों के जीवन यापन के लिए मकानों का किराया भाड़ा का साधन ही सहारा है । जिस पर दिल्ली नगर निगम के भवन उपनियम (बिल्डिंग) बॉयलाज का ग्रहण लग गया हैं । दिल्ली नगर निगम इन गाँवों में उक्त भवन उपनियमों के आधार पर निर्माणों को अवैध निर्माण (अनोथराइज्ड कन्ट्रेक्शन) के नोटिस भेजकर उन्हें सील अथवा गिरा रही है । इसके कारण गाँवों-गावों में अनेकों निर्माणधीन भवन सील कर दिए गए हैं । परिणाम स्वरूप यहाँ के मूल निवासियों के लिए जीवन यापन करना दुभर हो गया है सरकार द्वारा जारी दिनांक 17.1.2011 के अध्यादेश से भी कोई राहत इन गाँवों को नहीं दी गई ।

महोदय, आपकी सरकार एक ओर तो अवैध कलोनियों को नियमित कर वहां बसे के निवासियों को जीवन दान दे रही है वही दूसरी और दिल्ली नगर निगम शहरीकृत गाँवों में निमर्णाधीन भवनों को भवन उप-नियमों का सहारा लेकर सील अथवा धराशायी कर रही है ।

अत: आपसे नम्र निवदन हैं कि दिल्ली के सभी शहरीकृत गाँवों में दिल्ली नगर निगम के भवन उप-नियम समाप्त किए जाएं और वहाँ के निवासियों को राहत दिलाने की कृपा करें ।

धन्यवाद,

Copy to:- Sh. Ajay Makan, Union Minister
L.G.- Delhi
Chief Secretary - Delhi Govt.
Dy. Commissioner - M.C.D. (S.Z.)

By 26/4/11

(Om Prakash) President 9811534273
(Devinder Sejwal) Vice President 9810157612
(Devender Kr. Sejwal) General Secretary 9312339747
(Joginder Singh) Joint Secretary 9899048128
(Kheta Singh) Treasurer 9818720805